



2026:AHC:52320

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 1069/2026

नरेंद्र कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य / 4 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धर्म वीर जायसवाल, हर्ष विक्रम

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अरुण कुमार पांडेय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्म वीर जायसवाल, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मृदुल कुमार और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पांडेय को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"(I). एक रिट आदेश या परमादेश की प्रकृति में निर्देश जारी किया जाए जो प्रतिवादी संख्या 2 - राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का प्रतिवादी के समक्ष लंबित द्वितीय अपील संख्या 939/2023 (प्रवीण एवं अन्य बनाम नरेंद्र एवं अन्य) को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर तय करने का आदेश दे।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निजी प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 द्वारा दायर उक्त द्वितीय अपील संख्या 939/2023, जिसमें याचिकाकर्ता को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है, 28.02.2023 से राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। उन्होंने निवेदन किया कि विभाजन के बाद (बँटवारे के मुकदमे) से उत्पन्न यह द्वितीय अपील स्वीकार कर ली गई है, लेकिन यह अभी भी अधिनिर्णय हेतु लंबित है। उन्होंने द्वितीय अपील की लंबित स्थिति की प्रति भी प्रस्तुत की, जिसे रिट याचिका के संलग्नक संख्या 10 के रूप में संलग्न किया गया है, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले में त्वरित कार्यवाही नहीं हो रही है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान याचिका प्रतिवादी संख्या 2 - राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निर्देशित करते हुए अंततः निस्तारित की जाती है कि वह उक्त द्वितीय अपील संख्या 939/2023 को कानून के अनुसार शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद निर्णीत करें।

16 मार्च, 2026

पी.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"